रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 6, 2017/माघ 17, 1938
No. 314] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 6, 2017/MAGHA 17, 1938

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2017

का.आ. 347(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, बालकों (0 से 6 वर्ष तक के) और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक सार्वभौमिक स्व:-चयन स्कीम के रूप में एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम [आंगनवाड़ी सेवाओं] का प्रशासन कर रहा है, जिसका कार्यान्वयन देश भर में फैले आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है और यह छह सेवाओं की प्रस्थापना करती है, अर्थात्, (i) अनुपूरक पोषण, (ii) विद्यालय पूर्व गैर-औपचारिक शिक्षा, (iii) पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, (iv) टीकाकरण, (v) स्वास्थ्य जांच, और (vi) रेफरल सेवाएं और इन सेवाओं में से टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित हैं और इन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और लोक स्वास्थ्य अवसंरचना द्वारा उपलब्ध कराया जाता है;

और आंगनवाड़ी केंद्रों तथा लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में सेवाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं और ये कार्यकर्ता ऐसे अवैतनिक कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए आगे आए हैं और उनकी सेवाओं को मान्यता प्रदान करते हुए उन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा और साथ ही राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा मासिक मानदेय का संदाय किया जाता है;

और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मुद्दे संदत्त किए जाने वाले मानदेय में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्वलित है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात् : –

1. (1) आंगनवाड़ी केंद्रों तथा लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं से यह अपेक्षित है कि वे आधार संख्या को रखने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें ।

(2) किसी ऐसे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या आंगनवाड़ी सहायिका को, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा परंतु ऐसी कार्यकर्त्री या सहायिका उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर सम्पर्क कर सकेंगे ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के स्थानीय प्राधिकारी आधार नामांकन के लिए यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बन गए हैं और वे यूआईडीएआई के परामर्श से नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सुविधाजनक अवस्थानों पर विशेष आधार नामांकन शिविरों का आयोजन कर रहे हैं तथा ऐसे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या आंगनवाड़ी सहायिका, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन हेतु ऐसे विशेष आधार नामांकन शिविरों का या यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के आसपास स्थित किसी आधार नामांकन केंद्र को सम्पर्क कर सकेंगे।

(4) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 1 अप्रैल, 2017 से केवल आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से मानदेय का संदाय किया जाएगा । आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को आधार संख्या दिए जाने तक या 31 मार्च, 2017 तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए मानदेय का संदाय किया जाएगा, अर्थात् : –

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति, और

(ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज, अर्थात् : –

बैंक फोटो पासबुक; या मतदाता पहचान पत्र; या राशन कार्ड; या किसान फोटो पासबुक; या पासपोर्ट; या चालक अनुज्ञप्ति; या पेन कार्ड; या एमजीएनआरईजीएस कार्य कार्ड; या सरकार या पब्लिक सेक्टर उद्यमों द्वारा जारी कर्मचारी फोटो पहचान पत्र; या किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र; या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी कोई पहचान प्रमाणपत्र, उसके फोटो सहित; या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज ।

2. (1) आधार के लिए सुविधाजनक और निर्बाध नामांकन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारें और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन आवश्यक अनुदेश जारी करेंगे और आधार हेतु नामांकन की आवश्यकता और आधार नामांकन के लिए दी गई प्रसुविधाओं के ब्यौरों के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं में जागरुकता पैदा करने के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षकों के कार्यालयों के माध्यम से ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे, जो आवश्यक हों ।

(2) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के, ब्लॉक या तहसील या तालुक में नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, बाल विकास परियोजना अधिकारियों से यह अपेक्षित होगा कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करें तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनवाड़ी सहायिका, अपने पते, मोबाइल नंबर जैसे अन्य ब्यौरों के साथ अपने नामों को बाल विकास परियोजना अधिकारी को देकर नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे ।

3. यह अधिसूचना जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर उसके प्रकाशन की तिथि से सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में प्रभावी होगी ।

[सं.12/35/2015-सीडी- I]

डॉ. राजेश कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2017

S.O. 347(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India is administering Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme [Anganwadi Services] as a universal self-selecting Scheme to children (0 to 6 years) and pregnant and lactating mothers which is implemented by the State Governments and Union territory Administrations through the Anganwadi Centres spread across the country and it offers six services, namely, (i) Supplementary Nutrition; (ii) Pre-School non-formal education; (iii) Nutrition and Health Education; (iv) Immunization; (v) Health check-up; and (vi) Referral services and out of these services the Immunization, Health check-up and Referral services are related to health and are provided by National Rural Health Mission and public health infrastructure;

And whereas, the services at Anganwadi Centres and Mini-Anganwadi Centres are provided by the Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers and these functionaries are honorary workers who have come forward for rendering social services and in recognition of their services, they are paid monthly honorarium by the Central Government and also by the State Governments and Union territory Administrations;

And whereas, the honorarium paid towards the Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government in the Ministry of Women and Child Development hereby notifies the following, namely:–

1. (1) Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers working at the Anganwadi Centres or Mini-Anganwadi Centres are required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any Anganwadi Worker or Anganwadi Helper, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017 provided such Worker or Helper is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the local authorities in the State Governments or Union territory Administrations have become UIDAI Registrars for Aadhaar enrolment and organising special Aadhaar enrolment camps at convenient locations for providing enrolment facilities in consultation with UIDAI and the Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, may also visit such special Aadhaar enrolment camps for Aadhaar enrolment or any of the Aadhaar enrolment centres in the vicinity with existing registrars of UIDAI.

(4) The Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers shall be paid honorarium only through Aadhaar seeded bank accounts with effect from 1st April, 2017. Till the time Aadhaar is assigned to the Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers or till 31st March, 2017, whichever is earlier, honorarium shall be paid to the Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers subject to the production of the following documents, namely:–

(a) (i) if she has enrolled, her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2, and

(b) Any of the following documents, namely:–

Bank photo passbook; or Voter ID Card; or Ration Card; or Kisan Photo Passbook; or Passport; or Driving License; or PAN Card; or MGNREGS Job Card; or Employee Photo Identity Card issued by the Government or Public Sector Undertakings; or any other Photo Identity Card issued by State Government or Union territory Administration; or Certificate of identity with photograph issued by any Gazetted Officer in his official letterhead; or any other document specified by the State Government or Union territory Administration.

2. (1) In order to provide convenient and hassle free enrolment for Aadhaar, the State Governments and Union territory Administrations shall issue necessary instructions and make such arrangements as may be necessary through the offices of Child Development Project Officers and Supervisors for awareness of the Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers about the necessity of enrolment for Aadhaar and details of facilities made for Aadhaar enrolment.

(2) In case the Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the Block or Tehsil or Taluks, the Child Development Project Officers are required to create enrolment facilities at convenient locations and the Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers may register their request for enrolment by giving their names with other details, such as, address, mobile number with the child development project officer.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union Territories except the State of Jammu and Kashmir.

[No.12/35/2015-CD.I]

Dr. RAJESH KUMAR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2017

का.आ. 348(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, बालकों (0 से 6 वर्ष तक के) और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए एक सार्वभौमिक स्व:चयन स्कीम के रूप में एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम [आंगनवाड़ी सेवाओं] का प्रशासन कर रहा है, जिसका कार्यान्वयन देश भर में फैले आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है और यह छह सेवाओं की प्रस्थापना करती है, अर्थात् (i) अनुपूरक पोषण, (ii) विद्यालय पूर्व गैर-औपचारिक शिक्षा, (iii) पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, (iv) टीकाकरण, (v) स्वास्थ्य जांच, और (vi) रेफरल सेवाएं और इन सेवाओं में से टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित हैं और इन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और लोक स्वास्थ्य अवसंरचना द्वारा उपलब्ध कराया जाता है;

और, आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रस्थापित पूर्वोक्त अनुपूरक पोषण कार्यक्रम में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात् :–

1. (1) आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रस्थापित अनुपूरक पोषण कार्यक्रम का उपभोग करने के इच्छुक व्यक्तियों से यह अपेक्षित है कि वे आधार संख्यांक के कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करें या 01.04.2018 से आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें ।

(2) आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रस्थापित अनुपूरक पोषण कार्यक्रम का उपभोग करने के ऐसे किसी इच्छुक व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31 मार्च, 2018 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर सम्पर्क कर सकेंगे ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के स्थानीय प्राधिकारी आधार नामांकन के लिए यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बन गए हैं या बनने वाले हैं और वे यूआईडीएआई के परामर्श से नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सुविधाजनक अवस्थानों पर विशेष आधार नामांकन शिविरों का आयोजन कर रहे हैं तथा आंगनवाड़ी केंद्रों पर प्रस्थापित प्रसुविधाओं और सेवाओं में से किसी प्रसुविधा या सेवा का उपभोग करने का कोई ऐसा इच्छुक व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन हेतु ऐसे विशेष आधार नामांकन शिविरों का या यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के पास आसपास स्थित किसी आधार नामांकन केंद्र को सम्पर्क कर सकेंगे ।

(4) उक्त अधिनियम की धारा 5 में यथाविहित आधार नामांकन प्रक्रिया का पांच वर्ष से कम आयु के फायदाग्राही बालकों के लिए अनुसरण किया जाएगा ।

(5) यदि आधार का उपयोग करने के लिए अधिप्रमाणन या आधार का कब्जे में होने के सबूत का प्रस्तुत करना संभव नहीं है तो फायदाग्राही, आंगनवाड़ी केंद्रों पर अनुपूरक पोषण कार्यक्रम का, निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए, समय या आयु वर्जित होने तक उपभोग करते रहेंगे अर्थात् :–

अ. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए (बालक के जन्म से छह मास तक):

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उपपैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति, और

(ख) (i) बैंक फोटो पासबुक; या मतदाता पहचान पत्र; या राशन कार्ड; या किसान फोटो पासबुक; या पासपोर्ट; या चालक अनुज्ञप्ति; या पेन कार्ड; या एमजीएनआरईजीएस कार्य कार्ड; या सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा जारी कर्मचारी फोटो पहचान पत्र; या किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र; या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी कोई पहचान प्रमाणपत्र, उसके फोटो सहित; या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज; और

(ii) ऐसा परिवचन कि वह किसी अन्य आंगनवाड़ी केंद्र से सेवाओं या प्रसुविधाओं का उपभोग नहीं कर रही हैं ।

आ. छह वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए:

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान; या

(ii) पैरा 2 के उपपैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति, और

(ख) माता-पिता में से किसी एक की, अधिमानत: माता की, या बालक के नाम, जन्म-तिथि, लिंग, फोटो जैसे जनसांख्यिकीय ब्यौरों के साथ, विधिक संरक्षक की, आधार संख्यांक या आधार नामांकन स्लिप; और

(ग) माता या पिता अथवा विधिक संरक्षक के साथ बालक के संबंध के सबूत के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, अर्थात् :–

(i) जन्म प्रमाणपत्र या समुचित सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का अभिलेख;

(ii) राशन कार्ड; या एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. कार्य कार्ड; या

(iii) ई.सी.एच.एस. कार्ड; या ई.एस.आई.सी. कार्ड; या सी.जी.एच.एस. कार्ड; या

(iv) पेंशन कार्ड; या सेना केंटीन कार्ड; या

(v) कोई सरकारी कुटुंब हकदारी कार्ड; या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज; और

(vi) माता या पिता अथवा विधिक संरक्षक द्वारा यह परिवचन कि बालक उसके साथ रहता है और वह किसी अन्य आंगनवाड़ी केंद्र से बालक के लिए सेवाओं या प्रसुविधाओं का उपभोग नहीं कर रहे हैं ।

2. (1) आंगनवाड़ी केंद्रों पर सुविधाजनक और निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारें और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, आधार के लिए नामांकन की आवश्यकता और आधार नामांकन के लिए दी गई प्रसुविधाओं के ब्यौरों के बारे में आई.सी.डी.एस. फायदाग्राहियों में जागरूकता पैदा करने के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारियों और पर्यवेक्षकों, आंगनवाड़ी केंद्रों और स्थानीय मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करेंगे ।

(2) फायदाग्राहियों के, ब्लॉक या तहसील या तालुक में नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, बाल विकास परियोजना अधिकारियों से यह अपेक्षित होगा कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करें तथा गर्भवती माताओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, बालकों और उनके माता-पिता या संरक्षकों से अपने पते, मोबाइल नंबर जैसे अन्य ब्यौरों के साथ अपने नामों को आंगनवाड़ी केंद्र को देकर नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे ।

3. यह अधिसूचना, उसके प्रकाशन की तारीख से, जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में प्रभावी होगी ।

[सं. 12/35/2015-सीडी- I]

डॉ. राजेश कुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2017

S.O. 348(E).–Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India is administering Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme [Anganwadi Services] as a universal self-selecting Scheme to children (0 to 6 years) and pregnant and lactating mothers which is implemented by the State Governments and Union territory Administrations through the Anganwadi Centres spread across the country and it offers six services, namely, (i) Supplementary Nutrition; (ii) Pre-School non-formal education; (iii) Nutrition and Health Education; (iv) Immunization; (v) Health check-up; and (vi) Referral services and out of these services the Immunization, Health check-up and Referral services are related to health and are provided by National Rural Health Mission and public health infrastructure;

And whereas the aforesaid Supplementary Nutrition Program offered at Anganwadi Centres involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act), the Central Government in the Ministry of Women and Child Development hereby notifies the following, namely:–

1. (1) Individuals desirous of availing the Supplementary Nutrition Program offered at the Anganwadi Centres are required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication with effect from 01.04.2018.

(2) Any individual desirous of availing the Supplementary Nutrition Program offered at the Anganwadi Centres, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31st March, 2018 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the local authorities in the State Governments or Union territory Administrations have become or are in the process of becoming UIDAI Registrars for Aadhaar enrolment and are organising special Aadhaar enrolment camps at convenient locations for providing enrolment facilities in consultation with UIDAI and any individual desirous of availing any of the benefits and services offered at the Anganwadi Centres, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, may also visit such special Aadhaar enrolment camps for Aadhaar enrolment or any of the Aadhaar enrolment centres in the vicinity with existing registrars of UIDAI.

(4) The Aadhaar enrolment process as prescribed in section 5 of the said Act shall be followed for children beneficiaries below the age of 5 years.

(5) In case authentication using Aadhaar or submission of proof of possession of Aadhaar is not possible, the beneficiaries shall continue to avail the Supplementary Nutrition Program services at Anganwadi Centres till the beneficiaries become time or age barred, subject to the production of following documents, namely:–

A. For Pregnant Women and Lactating Mothers (upto six months from child birth)**:**

(a) (i) if she has enrolled, her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2, and

(b) (i) Bank photo passbook; or Voter ID Card; or Ration Card; or Kisan photo passbook; or Passport; or Driving Licence; or PAN Card, or MGNREGS Job Card; or Employee Photo Identity Card issued by Government or Public Sector Undertakings; or any other Photo Identity Card issued by State Government or Union territory Administration; or Certificate of identity with photograph issued by any Gazetted Officer in his official letter head, or any other document specified by the State Government or Union territory Administration; and

(ii) an undertaking that she is not availing services or benefits from any other Anganwadi Centre.

B**.** For Children upto to the age of six years:

(a) (i) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID; or

(ii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2, and

(b) Aadhaar number or Aadhaar Enrolment ID slip of any of the parents, preferably mother, or legal guardian alongwith demographic details of the child, such as, name, date of birth, gender, photograph; and

(c) any one of the following documents as proof of relationship of the child with the parent or legal guardian, namely: –

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate Government authority; or

(ii) Ration Card; or MGNREGS Job Card; or

(iii) ECHS Card; or ESIC Card; or CGHS Card; or

(iv) Pension Card; or Army Canteen Card; or

(v) any Government Family Entitlement Card; or any other document specified by the State Government or Union territory Administration; and

(vi) an undertaking by the parent or legal guardian that the child is residing with him or her and that he or she is not availing services or benefits for the child from any other Anganwadi Centre.

2. (1) In order to provide convenient and hassle free services to the beneficiaries at the Anganwadi Centres, the State Governments and Union territory Administrations shall make wide publicity through the offices of Child Development Project Officers, Supervisors, Anganwadi Centres and local media for awareness of the Integrated Child Development Services (ICDS) beneficiaries about the necessity of enrolment for Aadhaar and details of facilities made for Aadhaar enrollment.

(2) In case the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the Block or Tehsil or Taluks, the Child Development Project Officers are required to create enrolment facilities at convenient location and the pregnant women and lactating mothers, children and their parents or guardians may be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details, such as name, address, mobile number with the anganwadi centre.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union Territories except the State of Jammu and Kashmir.

[No.12/35/2015-CD.I]

Dr. RAJESH KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.02.08 14:09:16 +05'30'